अनुबंध II

कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2022 से मार्च 2023[1]

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	(ए) भारत सरकार (जीओआई)
30 मई 2022	• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आपातकालीन स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स) के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में की गई, जिसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए प्रति वर्ष ₹20,000 प्रति बच्चा का भत्ता वितरित किया जाता है, ताकि स्कूल की पूरी फीस, पुस्तकों और वर्दी, जूते और अन्य शैक्षणिक साधनों की लागत को कवर किया जा सके। • यह योजना उन बच्चों की सहायता के लिए पीएम केयर्स योजना पर आधारित है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को खो दिया है। • 2022-23 के दौरान ₹7.89 करोड़ की राशि के साथ, इस योजना के तहत 3,945 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।
30 जून 2022	• सरकार ने ₹6062.45 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 'एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर करने और इसकी गति में तेजी लाने (रैंप)' योजना शुरू की। • रैंप योजना, एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के विभिन्न कोरोना वायरस रोग 2019 (कोविड-19) की आघात-सहनीयता और रिकवरी मध्यक्षेपों का समर्थन करती है। रैंप योजना का उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य में संस्थानों और अभिशासन को मजबूत करना, केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, लंबित भुगतान और एमएसएमई के हरितकरण के मुद्दों को संबोधित करना है। • सरकार ने वैश्विक बाजार के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एमएसएमई उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए 'पहली बार एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता निर्माण (सीबीएफ़टीई)' योजना शुरू की।
17 अगस्त 2022	सरकार ने आपातकालीन ऋण व्यवस्था गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की सीमा को ₹50,000 करोड़ बढ़ाकर ₹4.5 लाख करोड़ से ₹5.0 लाख करोड़ करने को मंजूरी दी जिसमें अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। यह वृद्धि आतिथ्य और संबंधित उद्यमों पर कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न गंभीर व्यवधानों के कारण की गई है।
28 सितंबर 2022	केंद्र ने *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (पीएमजीकेएवाई- चरण VII) को अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक तीन और महीनों के लिए बढ़ा दिया।
5 अक्टूबर 2022	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ईसीएलजीएस 3.0 के तहत एयरलाइनों के लिए अधिकतम ऋण राशि पात्रता को संदर्भ तिथियों की स्थिति में उनके निधि आधारित या गैर-निधि-आधारित ऋण बकाया का 100 प्रतिशत या ₹1,500 करोड़, जो भी कम हो, बढ़ाने के लिए ईसीएलजीएस में संशोधन किया; और उपरोक्त में से, धारकों द्वारा इक्विटी योगदान के आधार पर ₹500 करोड़ पर विचार किया जाएगा।
11 जनवरी 2023	केंद्र ने नई एकीकृत *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* शुरू की, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्रता के अनुसार, वर्ष 2023 के लिए सभी प्राथमिकता वाले परिवारों और *अंत्योदय अन्न योजना* के लाभार्थियों के लिए मुफ्त खाद्यान्न का प्रावधान किया गया।
	ब. भारतीय रिज़र्व बैंक
	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
28 जुलाई 2022	ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स (17 मार्च 2020 तक मौजूद) के लिए प्राधिकरण हेतु रिज़र्व बैंक में आवेदन करने के लिए एक और अवधि प्रदान की गई।

[1] यह सूची सांकेतिक स्वरूप की है और सरकार से संबंधित उपायों और रिज़र्व बैंक के उपायों के विवरण उनकी संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, मार्च 2020 से मार्च 2021 के दौरान इस संबंध में प्रमुख नीतिगत घोषणाओं के घटनाक्रम की सूची को वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुबंध-II में शामिल किया गया था, जबकि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान की गति नीतिगत घोषणाओं को वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुबंध-II में शामिल किया गया था।